न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 48/24 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2024/217

1. श्री भेरूलाल पिता रामचन्द्र उर्फ रामलाल नाई निवासी धोला का धनेरिया तहसील मावली।
2. श्री रतनलाल पिता रामचन्द्र उर्फ रामलाल नाई निवासी धोला का धनेरिया तहसील मावली।

.................प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री पृथ्वीराज पिता वरदा जाट निवासी धोला का धनेरिया तहसील मावली।
2. श्री बाबुलाल पिता वरदा जाट निवासी धोला का धनेरिया तहसील मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. पटवारी, पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री प्रदीप सेन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1, 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 09.01.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली की आराजी नम्बर 2096 रकबा 0.2590 हेक्टेयर एवं 2103 रकबा 0.6313 हेक्टेयर उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी संख्या 1, 2 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित है।
2. यह कि हम प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2096, 2103 के पश्चिमी पडौस में आराजी नम्बर 2411/1874 रकबा 0.6475 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम पर सहखातेदारी हक से दर्ज है अर्थात् हम प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि की पश्चिमी दिशा के विपक्षी संख्या 1, 2 ही खातेदार हैं।
3. यह कि हम प्रार्थीगण व हमारे परिवारजन हमारी खातेदारी की उक्त कृषि भूमि पर काबिज है और परिवारजन सहित शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे है लेकिन विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:58 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1, 2 जो हमारी जमीन के पश्चिमी दिशा के पडौसी होने की वजह से हर समय हमारी कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते है एवं लडाई झगडा कर हमारी कृषि भूमि पर कब्जा करने पर आमादा रहते है तथा वर्तमान में भी विपक्षी संख्या 1, 2 हम प्रार्थीगण को डरा धमका कर हमारी जमीन को नाजायज तरीके से हडपने पर आमादा हो रहे है तथा हमारी बाड एवं बाड में खडे वृक्षों को भी नाजायज तरीके से काटने पर उतारू है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण को हमारी उक्त कृषि भूमि की पश्चिमी दिशा की सीमा की पत्थरगढी कराना जरूरी हो गया हैं। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।

4. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 03.06.2024 को उत्पन्न हुआ जब हम प्रार्थीगण के आवेदन पर उप तहसीलदार सनवाड के निर्देशानुसार हमारी कृषि भूमि की पश्चिमी दिशा की सीमा जानकारी करने हेतु मौके पर आये पटवारीजी को पडौसी खातेदार विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा सीमा जानकारी नहीं करने दी गई और विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा उक्त भूमि की सीमा को लेकर हमारे साथ विवाद किया गया और हमारे समझाईश करने पर भी नहीं माने, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
5. अन्त में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय का आदेश फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की पश्चिमी दिशा की सीमा का सीमांकन कराया जाकर स्थायी पत्थरगढी कराई जावे तथा विपक्षी संख्या 1, 2 को पाबंद किया जावे कि वो हमारी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचावे, बाड वृक्ष नहीं काटे और हमारी कृषि भूमि का हम प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं करे, किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करावे। साथ ही हमारी खातेदारी की भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के कब्जे में पायी जावे तो उसका कब्जा भी हम प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 1, 2 से दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावें।
6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि हम विपक्षीगण हमारी खातेदारी की भूमियों पर ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं।
7. यह कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पश्चिमी दिशा के हम विपक्षीगण पडौसी अवश्य है किन्तु हमने कभी भी उनकी या हमारी भूमि की सीमा को लेकर न तो कोई झगडा किया है, न ही उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी की गई है, न ही कोई नुकसान पहुंचा है बल्कि हम विपक्षीगण हमारी खातेदारी एवं कृषि अधिकार की कृषि भूमियों पर ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:58 IST
Reason: SelfAttested

काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जो भूमियां हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है अर्थात् हम विपक्षीगण पीढी दर पीढी हमारे खाते एवं कब्जे अधिकार की कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज चले आ रहे है और हमारी भूमि की सीमा पर पुराने समय से ही बाडे बनी हुई है जो आज भी मौजूद है। प्रार्थीगण उनकी भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है इसके बावजूद भी हमें तंग प्रताडित करने की मंशा से झूठे कथन पर यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी।

8. यह कि मौके पर सीमा जानकारी हेतु कोई भी नहीं आया है तो हमारे द्वारा सीमा सम्बन्धी विवाद करने व सीमाज्ञान नहीं करने देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण ऐसे झूठे कथन अंकित करके हमारी जमीन पर काबिज होना चाहते है जबकि प्रार्थीगण व विपक्षीगण के हिस्से कब्जे की भूमियों पर अलग–अलग पालिये डोलिये बनी हुई है तथा पहले अपनी–अपनी भूमियों की सीमाओ पर थौहर/कांटो की बाडे हुई थी जिनके मौके पर निशानात मौजूद है। इस प्रकार मौके पर सीमा संबंधी कोई विवाद न तो पहले हुआ है, न ही वर्तमान में कोई विवाद सीमा के सबंध में है। प्रार्थीगण उनके हिस्से कब्जे की भूमियों का उपयोग उपभोग कर रहे है और हम विपक्षीगण हमारी भूमियों का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। हमने कभी भी प्रार्थीगण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, न ही प्रार्थीगण की जमीन पर कब्जा कर रखा है, न ही कब्जा करना चाहते है। ऐसी अवस्था में पत्थरगढी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही प्रार्थीगण पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं।

9. यह कि प्रार्थीगण को हम विपक्षीगण के विरूद्व दिनांक 03.06.2024 को कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ हैं। प्रार्थीगण ने केवल मात्र मिथ्या मुकदमा करने की बदयान्ति से मनगढन्त प्रार्थना पत्र कारण बताकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण को कभी सफलता नहीं मिलेगी और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्ततः सव्यय खारिज होगा।

10. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण हम विपक्षीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार की दाद प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या कथनों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

11. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का प्रार्थी तन्हा खातेदार हैं। तन्हा खातेदारी की भूमि की प्रार्थी को पत्थरगढी [illegible] का पूर्ण अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:58 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी सं. 1, 2 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 अपनी भूमि पर काबिज है। सीमाकंन संबंधी कोई विवाद नही है। प्रार्थीगण द्वारा मनगढत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

12. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 352 पर दर्ज आराजी नम्बर 2096 रकबा 0.2590 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 2103 रकबा 0.6313 हेक्टेयर भूमि का प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। विपक्षी सं. 1, 2 का कथन है कि प्रार्थी प्रार्थीगण व विपक्षीगण को कोई सीमा विवाद नही है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को प्रताड़ित करने की नियत से झुठे कथन कर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है। न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहते है। जिसके विपक्षीगण पड़ौसी खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण जिस भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहतो है उस भूमि के खातेदार है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

13. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 352 पर दर्ज आराजी नम्बर 2096 रकबा 0.2590 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 2103 रकबा 0.6313 हेक्टेयर भूमि के पश्चिमी दिशा का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।

14. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

15. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:58 IST
Reason: SelfAttested